


आवश्यक सूचना

माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC No.353 of 2021 Shivani Kaushik vs Union of India & Ors. में दिनांक 23.04.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में वैसे निजी अस्पताल जिन्हें कोविड-19 मरीजों के उपचार हेतु अनुमति दी गई है तथा उनके द्वारा कोविड-19 संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है और उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति में कठिनाई हो तो वे विद्वान Registrar General, Patna High Court को निम्नलिखित ई-मेल पर अपनी शिकायत कर सकते हैं-

rgphccovidcomplain@gmail.com


कार्यपालक निदेशक

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार